रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-7

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1984/ज्येष्ठ 30, 1906
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1984/JYAISTHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1984

का. आ. 456(अ) :—बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि पंजाब एण्ड

सिंध बैंक का प्रधान कार्यालय "बैंक हाउस" 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में होगा ।

[संख्या एफ. 12/27/84-बी.ओ.-1]

वी. के. सिबल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1984

S. O. 456(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government hereby specifies that the head office of the Punjab and Sind Bank shall be at "Bank House", 21 Rajendra Place, New Delhi-110008.

[No. F. 12|27|84-BO. I]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984